फर्द अहकाम

मूली देवी बनाम पूरण वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 100/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		में विचाराधीन है। समय का अभाव से आदेश नहीं लिखा जा सका। पत्रावली पूर्ववत आदेश हेतु दिनांक 24/9/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	24/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। वकील उभय पक्षों की मौखिक बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाद को तकासमा हेतु निर्णीत किया जाता है तथा बटवारा किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली कोतल शुमार होकर नक्शा से जमा हो तथा वाद प्रति शामिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

43

विशेष

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
100/2022	03/08/2022	24/09/2024

1. मूली देवी पत्नि महादेव उम्र 70 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहमण निवाी ग्राम जगमालपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादीया

बनाम

1. पूरण पुत्र लादू जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम जगमालपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. महादेव पुत्र लादू जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम जगमालपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. गणेशी पुत्री लादू जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम जगमालपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
4. गुलाब पुत्री लादू (दौराने वाद फौत)
   4/1. कुंजबिहारी पुत्र गोपाललाल शर्मा निवासी ग्राम कुकस तह0 आमेर।
   4/2. योगेश शर्मा पुत्र गोपाललाल शर्मा निवासी ग्राम कुकस तह0 आमेर।
   4/3. सीता शर्मा पुत्री गोपाललाल शर्मा निवासी ग्राम कुकस तह0 आमेर।
   4/4. पूनम शर्मा पुत्री गोपाललाल शर्मा निवासी ग्राम कुकस तह0 आमेर।
   4/5. राधा शर्मा पुत्री गोपाललाल शर्मा निवासी ग्राम कुकस तह0 आमेर।
5. प्रेम पुत्री लादू जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम जगमालपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
6. भगवान पुत्र बालू जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम जगमालपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रामकरण शर्मा :— वकील वादी
श्री रामस्वरूप शर्मा :— वकील प्रतिवादी सं0 1
श्री अशोक शर्मा :— वकील प्रतिवादी सं0 2, 3, 5, 6

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादी की ओर से एड0 श्री रामकरण शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम जगमालपुरा, पटवार हल्का बूज, तहसील जमवारामगढ में स्थित वादग्रस्त आराजियात खाता सं0 103 के आराजी खसरा नम्बर 42 एवं खाता सं0 102 के आराजी खसरा नम्बर 319, 60 भूमि है। जिनका वादी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

संयुक्त खातेदार है जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नही हुआ है। वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तकासमा डिकी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादिया का पर्चा लगान पृथक से कायम करवाया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 13.05.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्रांक/एल.आर./2024/3768 दिनांक 10.07.24 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम जगमालपुरा, पटवार हल्का बूज, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म
कुंजबिहारी पुत्र गोपाललाल 1/300, पूनम पुत्री गोपाललाल 1/300, योगेश कुमार पुत्र गोपाललाल 1/300, राधादेवी पुत्री गोपाललाल, 1/300, सीता पुत्री गोपाललाल 1/300 ब्राहमण सा0कुकस, गणेशी पुत्री लादू 1/10, गुलाब पुत्री लादू 1/12, पूरण पुत्र लादू 1/10, प्रेम पुत्री लादू 1/10 बिना रहन, महादेव पुत्र लादू 1/10, मूली देवी पत्नि महादेव 1/2 जाति हरि0 ब्रा0 रहन बीओबी शाखा बगराना।	319 60	1.33 0.22	बारानी 1 चाही 1
	किता 2	1.55	—
कुंजबिहारी पुत्र गोपाललाल 1/300, पूनम पुत्री गोपाललाल 1/300, योगेश कुमार पुत्र गोपाललाल 1/300, राधादेवी पुत्री गोपाललाल, 1/300, सीता पुत्री गोपाललाल 1/300 ब्राहमण सा0कुकस, गणेशी पुत्री लादू 1/10, गुलाब पुत्री लादू 1/12, पूरण पुत्र लादू 1/10, प्रेम पुत्री लादू 1/10, भगवान पुत्र बालू 1/42 बिना रहन, महादेव पुत्र लादू 1/10 बिना रहन, मूली देवी पत्नि महादेव 10/21 जाति हरि0 ब्रा0 रहन बीओबी शाखा बगराना।	42	0.63	चाही 1
	किता 1	0.63	—

—: प्रस्तावित :—

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म
मूली देवी पत्नि महादेव जाति हरि0 ब्रा0 सा0देह रहन बैक ऑफ बडोदा शाखा बगराना	60/2 319/2 42/2	0.0982 0.6650 0.2945	बारानी 1 चाही 1 चाही 1

उपखण्ड अधिकारी

5/3

योग	किता 3	1.0577	—
कुंजबिहारी पुत्र गोपाललाल 1/150, पूनम पुत्री गोपाललाल 1/150, योगेश कुमार पुत्र गोपाललाल 1/150, राधादेवी पुत्री गोपाललाल 1/150, सीता पुत्री गोपाललाल 1/150 ब्राहमण सा0कूकस, गणेशी पुत्री लादू 1/5, गुलाब पुत्री लादू 1/6, पूरण पुत्र लादू 1/5, प्रेम पुत्री लादू 1/5 बिना रहन, महोदव पुत्र लादू 1/5 रहन बीओबी शाखा बगराना खातेदार	60/1 319/1	0.0982 0.6650	—
योग	किता 2	0.7632	—
शामलाती	60/3	0.0236	—
योग	किता 1	0.0236	—
कुंजबिहारी पुत्र गोपाललाल 21/3300, पूनम पुत्री गोपाललाल 21/3300, योगेश कुमार पुत्र गोपाललाल 21/3300, राधादेवी पुत्री गोपाललाल 21/3300, सीता पुत्री गोपाललाल 21/3300 ब्राहमण सा0कूकस, गणेशी पुत्री लादू 21/110, गुलाब पुत्री लादू 21/132, पूरण पुत्र लादू 21/110, प्रेम पुत्री लादू 21/110, भगवान पुत्र बालू 1/22, महोदव पुत्र लादू 21/110 हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार	42/1	0.3240	—
योग	किता 1	0.3240	—
शामलाती	42/3	0.0115	—
योग	किता 1	0.0115	—

रोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे। नक्शा ट्रेस ाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 24/09/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ा।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ